कालू राम पुत्र श्री सुखुआ
निवासी ग्राम ढकनेरा तहसील व
जिला गुना (म.प्र.)

..... आवेदक

1. नटवरलाल पुत्र श्री गिरवर लाल, आयु 62 वर्ष, व्यवसाय शिक्षक,
2. ब्रजेन्द्र लाल पुत्र श्री गिरधन लाल, आयु 57 वर्ष, व्यवसाय व्यापार
3. मधुकर लाल पुत्र श्री गिरधर लाल, आयु 48 वर्ष, व्यवसाय पुरोहित निवासीगण मकान न. 549, विहारी पुरा, मथुरा (उ.प्र.)

..... प्रतिप्रार्थीगण

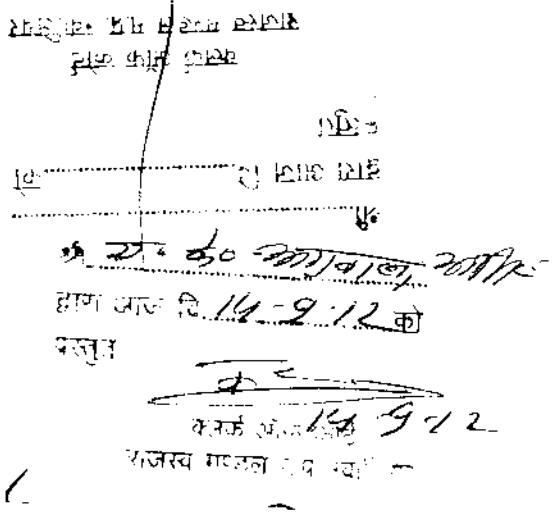

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3098–पीबीआर/12 जिला – गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश ।	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.6.14	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 87/अपील/10–11 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–7–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अनावेदकों द्वारा उनके समक्ष अपील के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । 2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील 24 वर्ष उपरांत पेश की गई है जिसे समयसीमा में मान्य कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है । अनावेदकों द्वारा प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । आलोच्य आदेश विधि के प्रतिकूल होकर तथा बिना किसी ठोस आधार पर पारित किया गया है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है । 3– अनावेदक कमांक 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है । 4– अनावेदक कमांक 2 एवं 3 प्रकरण में एकपक्षीय हैं । 5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने के आदेश के विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की परिस्थिति को विचार करके न्यायहित में विलंब क्षमा करने के आवेदन को स्वीकार किया है । प्रकरण में अभी साक्ष्य होकर उभयपक्ष को अवसर है कि वे अपने अधिकारों के संबंध में अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रखें । राजस्व मंडल, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया जाता रहा है कि किसी पक्ष को तकनीकि आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और जहां तक संभव हो प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर ही किया जाना चाहिए, तकनीकि आधार पर न्याय से वंचित करना उचित नहीं है । अतः उपरोक्त स्थिति एवं प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर